दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

महत्वपूर्ण एवं खास

7 अप्रैल तक बंद रहेंगे जिले के सभी मदिरा दुकानें, रेस्टॉरेंट एवं होटल बार

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने संपूर्ण रायगढ़ जिला में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2020 तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2)विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घ एवं एफ.एल.-3 होटल बार)दुकानें भण्डारण भाण्डागार तथा समस्त रेस्टोरेन्ट एवं होटल बार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त दिवसों में मदिरा के विक्रय एवं परिवहन पर पूर्णत~ प्रतिबंधित किया है और संबंधित अधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

बार की लायसेंस फीस जमा कराने की अवधि 15 अप्रैल तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग ने नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020-21 की बार लायसेंस की फीस जमा कराने की अवधि को 15 अप्रैल तक तक बढ़ाए जाने के साथ ही बीते 22 मार्च से लॉकडाउन की अवधि पर बार एवं क्लब के लिए मदिरा के उठाव के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से भी छूट प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया है। वर्ष 2020-21 की एफएल 3, एफएल 3 क, एफएल 4 एवं एफएल 4 क हेतु निर्धारित लायसेंस फीस को जमा किए जाने हेतु लायसेंसियों को 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

राज्य सरकार का 401 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को दी सेवावृद्धि

रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से राज्य में निर्मित स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने 401 आयुष चिकित्सकों को तीन माह की सेवावृद्धि दिए जाने का आदेश जारी किया है। संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों की एक वर्ष की सेवा 31 मार्च 2020 को पूरी हो रही थी। कोरोना संक्रमण के कारण संविदा आयुष चिकित्सकों की सेवाओं की आवश्यकता हो ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी सेवा को 30 जून 2020 तक सेवावृद्धि प्रदान की गई है।

अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने से इनकार किए जाने का है प्रतिषेध

» कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने कहा स्वास्थ्य सुविधाएं है

रायपुर। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉ. एस भारती दासन ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा , समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं , डॉक्टर , नर्स व स्वास्थ्य कर्मी को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिनता निवारण अधिनियम , 1979 के अंतर्गत लाया गया है . जिसके अंतर्गत ऊपर उल्लेखितों द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि एक ऐसे समय में , जब कोरोना महामारी के नियंत्रण व रोकथाम में सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है व हमारा दायित्व है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएँ। उन्होंने सभी पंजीकृत डॉक्टरों , मेडिकल संस्थानों , हास्पिटलों , नर्सिंग होम आदि से अपील की है कि आप सभी आपके द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं, सेवाओं को निरंतर जारी रखें। आपके आवागमन व अन्य सुविधाओं में जिला प्रशासन आपका पूरा सहयोग करेगा।

कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु जिला न्यायालय में निर्धारित पेशी की तिथियां आगे बढ़ी

रायगढ़। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय, कलेक्टर रायगढ़ के 01 अप्रैल 2020 तथा उसके आगे नियत प्रकरणों की पेशी को आगामी दिनांक तक बढ़ाई गयी है। माह अप्रैल 2020 के प्रथम पक्ष में निर्धारित प्रकरणों के पक्षकार तथा अधिवक्तागण आगामी पेशी दिनांक में न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हो सकते है। ज्ञात हो कि 1 अप्रैल 2020 को निर्धारित पेशी 25 मई 2020 को निर्धारित की गई है।

असहाय लोगों को नहीं होगी रहने, खाने, ईलाज में परेशानी

» अपने-अपने क्षेत्र में थाना प्रभारियों ने ली बेसहाय लोगों की जिम्मेदारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। लॉक डाउन दौरान सड़को पर बेघर घूमते असहाय लोग तथा रोज कमाकर खाने वाले श्रमिकों के परिवारों के लिए जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस इस वक्त सर्वत्र है।

थाना प्रभारीगण अपने क्षेत्र के समाजसेवी, व्यायपारीबंधु एवं कम्पनियों के सहयोग से उनके क्षेत्र के श्रमिकों एवं झुग्गी बस्तितयों में रहने वालों के भोजन, सराय, ईलाज की जिम्मेदारी ली गई है। यही नहीं शहर में पढ़ने आये बीएससी की छात्राओं को

चक्रधरनगर थाना प्रभारी विवेक पाटले द्वारा स्वयं से 2-2 हजार रुपए और ड्राई फुड वितरण किया गया। इसके पहले अपने क्षेत्र में वे भी अन्य थाना प्रभारियों के साथ पेट्रोलिंग वाहन में फूड पैकेट का घूमंतू एवं श्रमिकों में वितरण किये। जूटमिल चौकी प्रभारी निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा स्थानीय व्यापारियो के सहयोग 50 जरूरत मंद परिवार को अनाज का वितरण किया गया तथा जूटमिल क्षेत्र में फंसे अन्य प्रांत के ड्राइवर को खाना एवम पानी पाउच वितरण किया गया।

खरसिया थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी द्वारा उनके क्षेत्र में झुग्गी, झोपड़ी बस्तीं में करीब 60 लोगो को खाना पैकेट व मास्क का वितरण किया गया तथा उनके क्षेत्र में दूसरे राज्य के जरुरत मंद लोगों को भी खरसिया पुलिस द्वारा भोजन एवं सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है। एस.डी.ओ.पी. धरमजयगढ़ के निर्देशन पर रांची से झारखंड जा रहे हैं 9 व्यक्तियों को निगरानी समिति हाटी केंद्र में सुरक्षित रखवा कर उनका चेकअप कराकर उनको राशन वितरण किया गया है।

कोरोना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

» उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही कलेक्टर ने जारी किया आदेश

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)एक संक्रामक बीमारी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य है कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूर रहे तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध की सख्त हिदायत है। रायगढ़ जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रामक होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। इस संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किए गए है। जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। कोरोना वायरस के नियंत्रण दृष्टिगत संपूर्ण देश में लॉक डाउन 25 मार्च 2020 से प्रारंभ होकर आगामी 21 दिन तक के लिए लागू रहने के निर्देश है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेशित किया है कि यदि कोई व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण, जानकारी या आवश्यकता है।

राहत शिविरों में रुके लोगों के रहने खाने का किया जा रहा है उचित प्रबंध

» बाकारूमा, हाटी, धरमजयगढ़ में बने राहत शिविरों में रुके हैं अन्य प्रदेशों के लोग

» एसडीएम धरमजयगढ़ कर रहे हैं लगातार मॉनिटरिंग

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के चलते लगे हुए देशव्यापी लॉक डाउन में छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य प्रदेशों से आये बहुत से कामगार फंसे हुए हैं। जिनके रहने खाने के लिए राहत शिविर लगाकर आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में पूरा प्रसाशनिक अमला सम्पूर्ण जिले में ऐसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में 29 मार्च को दोपहर में धरमजयगढ़ अनुविभाग अंतर्गत बाकारूमा गांव में करीब 80 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली। जिस पर तत्काल एसडीएम धरमजयगढ़ श्री चौबे ने बाकारूमा के हायर सेकेण्डरी स्कूल में बने राहत शिविर में उनके रुकने की व्यवस्था करवाई। साथ ही नाश्ते व खाने पीने का प्रबंध किया गया है। 29 मार्च शाम से उन्हें नियमित खाना व नाश्ता दिया जा रहा है। शिविर में सुचारू व्यवस्था बनाये रखने के लिए बाकारूमा हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रिंसिपल, उस गांव तथा आस पास क्षेत्र के पटवारी व कोटवारों की ड्यूटी लगाई गयी है।

पुलिस कर्मी भी वहां मौजूद हैं। खाना बनाने के लिए धरमजयगढ़ से तीन रसोइयों को वहां तैनात किया गया है। जो राहत शिविर में रुके लोगों के लिए खाना बनाएंगे। एसडीएम धरमजयगढ़ एवं तहसीलदार के द्वारा सारे व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य राहत शिविरों में जिनमें धरमजयगढ़ में 37 तथा हाटी में 29 लोग रुके हुए हैं। उनके लिए भी सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराते हुए रुकने का उचित प्रबंध किया गया है।

लायनेस क्लब ऑफ रायगढ़ सिटी के सदस्यों के द्वारा गरीब व जरुरत मंद मजदूरों को दिया गया राशन सामान

न्याय साक्षी/रायगढ़। लायनेस क्लब ऑफ रायगढ़ सिटी के सदस्यों के द्वारा 100किलो चांवल, 20किलो आलू, 10 किलो दाल, 10किलो प्याज व तेल, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर व पारले जी बिस्किट आदि राशन सामान गरीब व जरुरत मंद मजदूरों को दिया गया जिसमें लायनेस क्लब ऑफ रायगढ़ सिटी की अध्यक्षा श्रीमती किरण उरांव एवं चार्टर मेंबर लायनेस सी बी वर्मा जी का विशेष योगदान रहा।

कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु जिला न्यायालय में निर्धारित पेशी की तिथियां आगे बढ़ी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय, कलेक्टर रायगढ़ के 01 अप्रैल 2020 तथा उसके आगे नियत प्रकरणों की पेशी को आगामी दिनांक तक बढ़ाई गयी है। माह अप्रैल 2020 के प्रथम पक्ष में निर्धारित प्रकरणों के पक्षकार तथा अधिवक्तागण आगामी पेशी दिनांक में न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हो सकते है।

रायगढ़ जिले से श्रमिकों के पलायन रोकने जिला पुलिस व प्रशासन की मुहिम

» खरसिया पुलिस द्वारा क्षेत्र के छोटे-बड़े कम्पनियों को दिये हिदायत श्रमिकों का प्लांट के अंदर की जाये उचित व्यवस्था

» श्रमिकों को सुरक्षा किट प्रदाय करने व प्रशासन के दिशा निर्देशों को पालन करने दी गई सख्त हिदायत

न्याय साक्षी/रायगढ़। लॉक डाउन के दौरान एक जिले से दूसरे जिले तथा एक राज्य से दूसरे राज्य की आवाजाही निषेधित है किन्तु इस लॉक डाउन दौरान रहने खाने के भय को लेकर अनावश्ययक श्रमिकों द्वारा पलायन किया जा रहा है जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के दिशा निर्देशन पर श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए प्रशासन व पुलिस की टीम संयुक्त टीम द्वारा सख्त कदम उठाते हुए जिले की सभी सीमाएं सील कर दिया गया है।

जिले के बाहर जाने वाले प्रत्येक मार्ग पर चेक प्वाइंट बनाये गये है, जिसमें 24 घंटे अधिकारी/कर्मचारी बने रहेंगे तथा अवैधानिक रूप से आने जाने वाले लोगों पर कार्यवाही की जावेगी। इस बीच श्रमिकों के हित को देखते हुए पूरे जिले में संचालित छोटे-बड़ी फैक्ट्रियों में पुलिस व प्रशासन की टीम जाकर

कम्पनी प्रबंधकों को उनके प्लांट के अंदर ही काम करने वाले दिगर एवं स्थानीय श्रमिकों के रहने व भोजन आदि की उचित व्यवस्था करने के संबंध में हिदायत दिया जाये। इसकी शुरुआत पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया पीतांबर पटेल, एस.डी.एम. खरसिया गिरीश रामटेके तथा थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहु के द्वारा आज अपने क्षेत्र के इंदु केमिकल फैक्ट्री, मोनेटो कंपनी व एस.के.एस. कंपनी में जाकर किया गया।

इन कम्पनियों का निरीक्षण कर सर्वप्रथम अधिकारियों द्वारा कंपनी प्रबंधक को प्लांट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोनावायरस से बचने हेतु संपूर्ण सुरक्षा किट जिसमें ग्लवब्सप, सैनिटाइजर, मास्क आवश्यक रूप से प्रदाय किए जाने निर्देशित किया गया। अधिकारियों द्वारा कंपनी के प्रबंधकों से चर्चा कर हिदायत दिया गया कि दिगर प्रांत के श्रमिकों को किसी भी स्थिति में पलायन के लिए मजबूर ना किया जाए, बल्कि शासन-प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था प्लांट के अंदर ही की जाए यदि किसी प्रकार की दिक्कत, असुविधा हो तो प्रशासन की मदद ले सकते हैं।

इसके साथ ही संबंधित प्रबंधकों को बताया गया कि उनके प्लांट कंपनी के आसपास के गांव के लोग प्रतिदिन आना-जाना कर कार्य करते हैं जिससे गांव में संक्रमण के फैलने की संभावना अत्यधिक है इसलिए आसपास के गांव के लोगों की भी रुकने खाने पीने की व्यवस्था प्लांट के अंदर ही की जाए। किसी भी स्थिति में किसी का रोजगार ना छिना जाए। इस सुझाव को कंपनी प्रबंधकों द्वारा स्वीकार किया गया है एवं शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग करना बताया गया है।

जरूरतमंदों तक पहुंचेगा राशन, कलेक्टर यशवंत कुमार के पहल पर बनी योजना

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)के रोकथाम के लिए 21 दिनों का देशव्यापी लॉक डाउन प्रभावशील है।

इस स्थिति में कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के पहल तथा निर्देशन में शहर के ऐसे जरूरतमंद परिवार जिनके सामने लॉक डाउन के कारण रोजी रोटी का संकट आ गया है और भोजन की व्यवस्था नही कर पा रहे हैं, उन्हें 15 अप्रैल तक राशन सामग्री उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। जिसके अंतर्गत जिले में संचालित उद्योगों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले खाद्य एवं

» 15 अप्रैल तक के लिए मिलेगा राशन, वितरण के लिए अब तक 3500 लोगों की बनी सूची

राशन सामग्री का भण्डारण एवं जरूरतमंद लोगों तक वितरण किया जाएगा। चक्रधर बाल सदन रायगढ़ को इस कार्य के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री टी.के.जाटवर से मिली जानकारी अनुसार राशन वितरण के लिए शहर के सभी वार्डों में ऐसे जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर सूची बनाने का कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वार्ड पार्षद भी सहयोग कर रहे हैं। इस सूची का सत्यापन पटवारियों के द्वारा होगा। जिसके पश्चात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक लोगों तक पहुंचकर राशन पैकेट का वितरण किया जाएगा। इस प्रकार वितरित किये जाने हेतु कुल 3500 लोगों की सूची बनाई गई है। प्रत्येक व्यक्ति को 15 दिनों हेतु 7.50 किलो चावल 1 किलो दाल, 3 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 साबुन वितरित किया जाना है।

सीईओ ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिव को किया निलंबित

» रायगढ़ जनपद के कुसमुरा पंचायत का है मामला

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने रायगढ़ जनपद पंचायत के कुसमुरा पंचायत के सचिव श्री नेपाल राठिया को कार्य में लापरवाही बरतने तथा उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर निलंबित कर दिया है।

श्री राठिया के निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि उन्हें ई.ओ.एल.सर्वे, पेंशन भुगतान, जनगणना दीवार लेखन, कोविड-19 में आइसोलेशन कार्य नहीं करने, खाद्य सामग्री चावल दाल ग्राम पंचायत में नहीं रखने, शासकीय कार्य में रूचि नहीं लेने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश व निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत व कदाचार की श्रेणी में पाया गया। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत श्री नेपाल राठिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

रायगढ़ जिला के सीमा क्षेत्र में 14 अप्रैल तक रहेंगी तालाबंदी

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)एक संक्रामक बीमारी है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु आदेश जारी किया था। रायगढ़ जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12

» पूर्व में जारी आदेश 31 मार्च तक तालाबंदी की अवधि को बढ़ाकर 14 अप्रैल तक किया गया आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालू

बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन)का आदेश जारी किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 से लेकर आगामी 21 दिन

अर्थात 14 अप्रैल 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा भारत सरकार के आदेशों के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त आदेश के तहत जिला रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक आदेशित पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन)के आदेश की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 14 अप्रैल 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन)का आदेश दिया जाता है। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। कंडिका स में वर्णित कार्यालय, प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन)के प्रतिबंध से शर्तो के अधीन छूट प्रदान की गई है। कलेक्टर कार्यालय से 24 मार्च को जारी आदेश की कंडिका %स % वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को भी शर्तो के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन)से छूट प्रदान की जाती है। जिसमें वस्तुओं, सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां शामिल है। जैसे पशु आहार, पक्षी आहार एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं एवं सेवायें, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पेट्स शॉप एक्वेरियम, शिशु एवं बच्चों का आहार, डिब्बा बंद स्वास्थ्य संपूरक आहार न्यूट्रास्यूटीकल्स डिब्बा बंद विशेष आहार के उपयोग के लिए भोजन, पैकेज्ड फूड और बेवरेज, डिब्बा बंद पानी की बोतल, अनाज, तेल, एवं खाद्य सामग्री, एवं , उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज शामिल है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-